क्रम-संख्या–199(क–3)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 4 दिसम्बर, 2023

अग्रहायण 13, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सेवायें) अनुभाग–2

संख्या-एस-2-1/438871/दस-2023-1862-2021

लखनऊ, 4 दिसम्बर, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–49

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(एक) यह नियमावली उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(दो) यह 01 जुलाई, 2023 से प्रवृत्त होगी।

नियम 17 का प्रतिस्थापन

2–उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992, में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–17 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ–1 **वर्तमान नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
17–**ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी–दो** :– ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी दो में चयन, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति की संस्तुति पर साधारण श्रेणी	17–**ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी–दो** :– ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी दो में चयन, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति की संस्तुति पर साधारण श्रेणी

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
वर्तमान नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
के ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त अधिकारियों में से किया जायेगा, जिन्होंने उस कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को, जिसमें चयन किया जाय, उस रूप में आठ वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। चयन समिति निम्न प्रकार गठित की जाएगी :–	के ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त अधिकारियों में से किया जायेगा, जिन्होंने कैलेण्डर वर्ष पहली जुलाई को, जिसमें चयन किया गया हो, इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। चयन समिति निम्न प्रकार गठित की जाएगी :–
(i) सरकार के वित्त विभाग के यथास्थिति प्रमुख सचिव या सचिव ..... अध्यक्ष	(एक) वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के यथास्थिति अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव – ..... अध्यक्ष
(ii) सरकार के कार्मिक विभाग के सचिव या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी जो संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो– ..... सदस्य	(दो) कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन के यथास्थिति, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव या उसके नाम निर्देशिती जो संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो– ..... सदस्य
(iii) कोषागार निदेशक, उ0 प्र0 .....सदस्य	(तीन) निदेशक, कोषागार उत्तर प्रदेश– ..... सदस्य

परन्तु यह कि सरकार विशेष परिस्थितियों में ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी–दो में चयन के लिए नियत सेवा सीमा को शिथिल कर सकती है।

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 806 राजपत्र–2023–(2304)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

806 RPH 2023 (vitt Sirvices anu-2) (data 8e